सुभाषिणी बनाम राज्य

ए.आई.आर. 1968 मैसूर 40

मैसूर सरकार के जुलाई 1963 के आदेश की जिसके अधीन मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए आरक्षण किए गए थे, चुनौति दी गई है। आदेश पर आक्षेप करने का एक आधार यह था कि इसके अधीन उपलब्ध स्थानों में से 50 प्रतिशत से अधिक स्थान आरक्षित थे और इस प्रकार आरक्षण की मात्रा बालाजी सीमा से अधिक थी। वस्तुतः मेडिकल कालेजों में उपलब्ध स्थानों की संख्या 750 थी। इनमें से 3 स्थान भारतीय मूल के उन सांस्कृतिक विद्यार्थियों के लिए नियत थे जो विदेश के अधिवासी हैं, दो स्थान कोलंबो योजना के विद्यार्थियों के लिए थे, 4 स्थान भारतीय मूल के उन विद्यार्थियों के लिए थे जो बर्मा से प्रवास कर के आए हैं, 4 स्थान एशिया और अफ्रीका के देशों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए थे, 2 स्थान एल.ए.एम.एस तथा एल.यू.एम.एस. के लिए थे, 5 स्थान गोवा के विद्यार्थियों के लिए थे, ढाई प्रतिशत स्थान रक्षा कर्मिको के बालकों के लिए थे, एक प्रतिशत स्थान उन विद्यार्थियों के लिए थे जिन्होंने खेल-कूद में असाधारण कौशल और अभिरुचि का परिचय दिया है, 75 स्थान अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय कोटे के रूप में थे। यदि इनमें से कोई स्थान न भरा जाता तो रिक्त स्थान सामान्य पूल को स्थानांतरित कर दिए जाते शेष स्थानों में से 18 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे और 30 प्रतिशत सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित थे।

वाद विषय,

क्या आरक्षण संबंधी मात्रा पर लगाई गई बालाजी सीमा गैर पिछड़े वर्गो की कुछ सामान्य श्रेणियों के लिए किए गए आरक्षण पर भी लागू होती है।

निर्णय का सारांश

न्यायमूर्ति हेगड़े

यह तर्क दिया गया है कि सभी ग्रपों के लिए किए गए कुल आरक्षण बालाजी सीमा के 50 प्रतिशत से अधिक थे। इस तर्क को अस्वीकार करते हुए मैसूर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण की वैधता का निर्णय अनुच्छेद 15(4) में निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से इतर वर्गो के लिए किए गए आरक्षणों की वैधता का निर्णय अनुच्छेद 14 की अपेक्षाओं के आधार पर किया जाना था। **इस प्रकार के आरक्षणों को अनुच्छेद 15(4) के अधीन किए गए आरक्षणों के साथ मिला नहीं देना चाहिए। बालाजी के मामले में निर्धारित उच्चतर सीमा केवल उसी आरक्षण पर लागू होती है जो अनुच्छेद 15(4) के अधीन किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसा कोई आरक्षण नहीं आता जो अन्यथा किया गया है।**